मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2016 (अग्रहायण 16, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. नोटबंदी किये जाने से प्रदेश में उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से आग्रह किया कि हमारे अनेक विधायकों ने किसानों से संबंधित स्थगन प्रस्ताव दिये हैं और नियम 139 के तहत चर्चा भी मांगी है. प्रदेश का किसान बेहाल है, त्राहि-त्राहि मची हुई है, बोवनी नहीं कर पा रहा है. अत: आज आप आश्वस्त करें कि इसे ग्राह्य करेंगे. क्योंकि इस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं. डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी से अनुरोध किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है परन्तु नेता प्रतिपक्ष से निवेदन है कि वे प्रश्नकाल हो जाने दें. सर्वश्री मुकेश नायक, आरिफ अकील तथा रामनिवास रावत, सदस्यगण ने भी आसंदी से आग्रह किया कि आसंदी से व्यवस्था आई थी कि विचार करके चर्चा कराएंगे, परन्तु आज सत्र का तीसरा दिन है सिर्फ दो दिन शेष बचे हैं. कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह तय हुआ था कि नियम 139 के तहत 2 विषयों पर चर्चा की जायेगी. बीहड़ भूमि, कृषिकरण की चर्चा हो चुकी है परन्तु दूसरी चर्चा हम किसानों की बदहाली पर करना चाहते हैं. प्रदेश में किसान, खाद, बीज नहीं ले पा रहा है और अपना माल कौड़ियों के भाव बेचने को मजबूर हो रहा है.

विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करने से अत्यधिक व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.02 बजे से 10 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 11.20 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

2. नोटबंदी किये जाने से प्रदेश में उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की जाना (क्रमश:)

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय से पुन: आग्रह किया गया कि सरकार हमारे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये. श्री शिवराज सिंह चौहान, सदन के नेता (मुख्यमंत्री) द्वारा आसंदी से आग्रह किया कि सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष ने उनके स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की बात कही है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं. आप तत्काल चर्चा प्रारम्भ कराएं.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि प्रश्नकाल के लिए आधे घण्टे का समय शेष है. परन्तु यदि सदन व सदन के नेता तैयार हैं तो इस पर चर्चा तत्काल प्रारम्भ कराई जा सकती है. चूंकि शासन इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने के पक्ष में है, इसलिए इस स्थगन को चर्चा के लिए स्वीकार करता हूं. जिसमें सभी पक्षों के सदस्य भाग ले सकेंगे. यह चर्चा अभी प्रारम्भ की जाती है.

3. स्थगन प्रस्ताव

नोटबंदी किये जाने से प्रदेश में उत्पन्न स्थिति

नोटबंदी किये जाने से प्रदेश में उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं थीं, जिसमें श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष की सूचना ज्यादा तथ्यात्मक होने की वजह से अध्यक्ष महोदय द्वारा उसको ग्राह्य कर पढ़ी गई तथा निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री
(3) श्री मुकेश नायक
(4) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता
(5) श्री आरिफ अकील
(6) श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह एवं परिवहन मंत्री

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(7) श्री रामनिवास रावत
(8) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(9) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

4. अध्यक्षीय घोषणा
स्थगन प्रस्ताव पर पर्याप्त चर्चा हेतु अनुरोध किया जाना तथा सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि इस स्थगन प्रस्ताव पर लगभग दो घंटे पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब उन्हीं सदस्यों के नाम मैं पुकारूगां, जिनके नाम सूची में है, जिससे शासन का उत्तर आ जाए. श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा आसंदी से आग्रह किया गया कि आज की कार्यसूची के सारे विषय हम निपटाने के लिए तैयार है. आप सभी सदस्यों को थोड़ा बोलने का समय दे देंगे तो बेहतर होगा. आसंदी द्वारा श्री रामनिवास रावत, सदस्य के आग्रह को स्वीकार कर बोलने वाले सदस्यों से 2 मिनट में अपनी बात सदन में रखने का अनुरोध किया गया. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

5. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)
नोटबंदी किये जाने से प्रदेश में उत्पन्न स्थिति

(10) श्री बहादुर सिंह चौहान
(11) श्री बलबीर सिंह डण्डौतिया
(12) श्री जितू पटवारी
(13) श्री दिनेश राय
(14) श्री निशंक कुमार जैन
(15) श्री उमंग सिंघार
(16) कुंवर सौरभ सिंह
(17) श्री सुखेन्द्र सिंह
(18) कुंवर विक्रम सिंह
(19) श्री सचिन यादव
(20) श्री हरदीप सिंह डंग
(21) श्री गिरीश भंडारी
(22) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(23) श्री मधु भगत
(24) डॉ. रामकिशोर दोगने
(25) श्री यादवेन्द्र सिंह
(26) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(27) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(28) सुश्री ऊषा चौधरी

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारम्भ किया.

6. गर्भगृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन

किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात कहते हुए श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में आये और माननीय मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कुछ समय पश्चात् उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया.

7. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)
नोटबंदी किये जाने से प्रदेश में उत्पन्न स्थिति

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से निवेदन किया कि विपक्ष के इस व्यवहार की पूरा सदन निंदा करता है. श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने भी विपक्ष के इस व्यवहार की निंदा की कि मैं प्रतिपक्ष के हर सदस्य की बात का जवाब देना चाहता था परन्तु जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की और वे बीच में ही छोड़कर सदन से बहिर्गमन कर दिया है.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर पूर्ण किया गया.

(अपराह्न 3.26 से 4.50 बजे तक अन्तराल)

विधान सभा पुनः समवेत हुई.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

8. नियम 267-क के अधीन विषय (क्रमशः)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले में संजय गांधी अस्पताल के पेयजल व्यवस्था एवं गंदे पानी निकासी,
(2) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना के सुमावली विधान सभा के ग्रामों में पेयजल संकट होने,
(3) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर विधानसभा अंतर्गत 35 ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध न होने,
(4) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की प्रदेश भर के तालाब व नालों पर अतिक्रमण बढ़ने,
(5) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य की कृषकों को प्याज की तरह संतरे पर भी समर्थन मूल्य तय कर खरीदी की जाने,
(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश ग्राम जो नगर निगम सीमा के नजदीक है के नजूल ग्राम श्रेणी,
(7) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सिहावल क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-75 (I) निर्माण में ग्रामीणों को भूमि की मुआवजा राशि,
(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की विजयपुर के तहसील वीरपुर के लगभग 40 ग्रामों में विद्युत विभाग की लापरवाही पूर्ण कार्यप्रणाली होने,
(9) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी में निर्माणाधीन पेंच नहर परियोजना की कार्य स्थिति स्पष्ट करने,
(10) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की दतिया के विकासखण्ड सेवड़ा में स्थित कोषालय को बंद किये जाने,
(11) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की नगर परिषद् पाटन द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के अवैध नियमितीकरण करने,
(12) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की अतिवृष्टि के कारण शाजापुर जिले के किसानों की नष्ट फसल की बीमा राशि,
(13) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की उज्जैन दक्षिण में पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर पूर्ण विकसित नहीं किये जाने,
(14) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की जबेरा स्वास्थ्य केन्द्र में ऑक्सीजन सिलेण्डर की कमी होने तथा
(15) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की पुष्पराजगढ़ के ग्राम सिवनी संगम में नर्मदा किनारे स्थित वट वृक्ष के संरक्षण सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16, पटल पर रखा.

(2) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 41 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15, पटल पर रखा.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, तथा

(ख) राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-2ए, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016,

पटल पर रखी.

(4) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-02-2011-तेरह, दिनांक 05 अगस्त, 2016 पटल पर रखी.

(5) श्री अंतर सिंह आर्य, पशुपालन मंत्री ने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 पटल पर रखे.

(6) श्री सूर्य प्रकाश मीना, राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ने एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-15 पटल पर रखे.

10. ध्यानाकर्षण

(1) श्री कैलाश चावला, सदस्य ने मध्यप्रदेश पश्चिम मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि हेतु सहयोग योजना के नाम पर कृषकों से वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री पारसचन्द्र जैन, मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की विदिशा जिले के विकास खण्ड गंजबासौदा एवं ग्यारसपुर अंतर्गत अनेक विद्यालयों में पहुंच मार्ग न बनाये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं हुई.

11. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 67-रामपुर बघेलान से निर्वाचित सदस्य, श्री हर्ष सिंह को विधान सभा के दिसम्बर, 2016 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का अभ्यावेदनों से संबंधित षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) सुश्री ऊषा ठाकुर, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

13. वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया.

14. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(2) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(3) श्री रामेश्वर शर्मा (जिला-सतना)
(4) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर-मालवा)
(5) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(6) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(7) श्री आशीष शर्मा (जिला-देवास)
(8) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(9) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(10) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(11) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(12) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(13) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(14) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(15) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(16) श्री घनश्याम पिरौनिया (जिला-दतिया)
(17) श्री नारायण सिंह पवार (जिला-राजगढ़)
(18) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(19) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(20) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(21) श्री गिरीश भंडारी (जिला-नरसिंहपुर)

(22) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(23) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(24) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(25) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(26) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(27) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(28) श्री कुँवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(29) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(30) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(31) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिंदवाड़ा)
(32) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(33) श्री इंदर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(34) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

सभापति महोदय (श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल) पीठासीन हुए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री दुर्गालाल विजय

16. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में उल्लिखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री रामपाल सिंह, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री रामपाल सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(2) डॉ. मोहन यादव
(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(4) श्री दुर्गालाल विजय
(5) श्री शंकरलाल तिवारी

श्रीमती माया सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्रीमती माया सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री अशोक रोहाणी
(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

श्रीमती माया सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्रीमती माया सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 6.18 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 (अग्रहायण 17, शक सम्वत् 1938) को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 7 दिसम्बर, 2016